संख्या– 23 सं0वि/2004– संस्कृति/2003

प्रेषक,

अमिताभ श्रीवास्तव,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
देहरादून।

संस्कृति अनुभाग–

देहरादून:दिनांक 12 फरवरी, 2004

विषय–स्थान पुरोला जनपद उत्तरकाशी में स्व0 श्री बरफिया लाल जुवांठा जी की प्रतिमा के समक्ष सुरक्षा रैलिंग निर्माण हेतु धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक समाज कल्याण के पत्र संख्या–1371/सं0क0/रैलिंग निर्माण/2003 दिनांक 6 सितम्बर, 2003 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय स्वर्गीय श्री बरफिया लाल जुवांठा जी की प्रतिमा के समक्ष सुरक्षा रैलिंग हेतु वित्तीय वर्ष 2003–2004 में टी0ए0सी0 द्वारा अनुमोदित आगणन रू0 0.97 लाख (रूपये सत्तानवें हजार मात्र) की धनराशि को वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति देते हुये चालू वित्तीय वर्ष में इतनी ही धनराशि को आहरित कर व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2–उक्त धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्यय मदो में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता, जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल यावित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिये। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत /अनुमोदित दरों को, जो दरे शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

5– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन /मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्रविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रराम्भ न किया जाय।

6– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय, जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

7– कार्य से पूर्व समस्त औपचारिकताऐं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/ विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

8– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भुगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशो तथा निरीक्षण निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

9– निर्माण सामाग्री के प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

10– यदि स्वीकृत राशि में स्थल विकास कार्य सम्भव न हो तो कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन /मानचित्र गठित कर शासन से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। स्वीकृत राशि से अधिक कदापि व्यय न किया जाय।

11– उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2003–2004 के अनुदान संख्या–11 के अन्तार्गत लेखाशीर्षक–2205–कला एवं संस्कृति–102–कला एव संस्कृति का सम्वर्द्धन–10–महान विभूतियों की मूर्ति स्थापना–1091–जिला योजना–25–लघु निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

12– उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशा संख्या–1035 /वि0अनु0–2/2004 दिनॉक 10 फरवरी, 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अभिताभ श्रीवास्तव)
अपर सचिव।

पृ0प0सं0– सं0वि/2004– संस्कृति/2003, तद्‌दिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड, उत्तरांचल ।
2– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल।
3– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4– जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
5– श्री एल0एम0 पन्त, अपर सचिव, वित्त , उत्तरांचल शासन।
6– निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर।
7– वित्त अनुभाग–2।
8– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अमिताभ श्रीवास्तव)
अपर सचिव।